18/4/22

उपखण्ड अधि...

पत्रावली वास्ते निर्णय आवेदन पेश हुई। उठाई गई बहस पर मनन किया गया। दौराने बहस वकील प्रतिवादी ने निवेदन किया कि इस वादपत्र की प्रस्तुति दिनांक 2.2.2022 से पूर्व ही इन्हीं आराजियात बाबत न्यायालय में एक वाद सं. 29/2022 उनवानी सुरेन्द्र बनाम अंकित बाबत बेदखली, उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 21.01.2022 को प्रस्तुत किया था जिसमें इस वादपत्र में वादी बतौर प्रतिवादी पक्षकार है ~~अतः~~ अतः पूर्ववर्ती वाद सुरेन्द्र बनाम अंकित में जवाबदावा पेश करने के बजाय एक नया वाद दुर्भावना से व वादबहुलता बढ़ाने हेतु पेश किया है तथा समान आराजियात व समान पक्षकारों के बीच एक ही न्यायालय में दो अलग-अलग वाद विचारण विधि वर्जित है अतः पश्चातवर्ती हस्तगत वाद दुदा बनाम सुरेन्द्र की अग्रिम कार्यवाही स्थगित किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे। वकील वादी ने दौराने बहस निवेदन किया कि विवादित खसरा नम्बर व पक्षकार पृथक है अतः वाद को स्थगित करना उचित नहीं है इसलिए आ. धारा 10 सी.पी.सी. खारिज फरमाया जावे। पत्रावली में उपलब्ध प्रलेखों व दोनों पत्रावलियों का अवलोकन किया

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
गया। पूर्ववर्ती वाद सं. 29/2022 उनवानी सुरेन्द्र बनाम अंकित व पश्चातवर्ती वाद सं. 39/2022 उनवानी कुदाराम बनाम सुरेन्द्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि दोनों ही वादपत्र बंटवारा, उपयोगिता व स्थायी निषेधाज्ञा पेश किये गये हैं तथा मुख्यतः अनुतोष भी समान खसरा नम्बरान बाबत ही चाहा गया है तथा पक्षकार भी समान हैं। दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 10 के अनुसार "कोई भी न्यायालय ऐसे किसी वाद के विचारण में जिसमें विवाद विषय उसी के अधीन मुकदमा करने वाले किन्हीं पक्षकारों के बीच या ऐसे पक्षकारों के बीच के जिनसे व्युत्पन्न के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं, किसी पूर्वतन संस्थित वाद में भी प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य है" आगे कार्यवाही नहीं करेगा"	
उक्त उनवानी वाद व पूर्ववर्ती वाद सं. 29/2022 उनवानी सुरेन्द्र बनाम अंकित में प्रमुख पक्षकार व विवाद्य विषय भी प्रत्यक्षतः व सारतः एक ही है। अतः धारा 10 व 151 CPC के प्रावधान इस प्रकरण में लागू होते हैं। अतः उक्त हालात उनवानी वाद व पूर्ववर्ती वाद सं. 29/2022 उनवानी सुरेन्द्र बनाम अंकित के पक्षकार भी तथा विवाद का विषय व अनुतोष प्रत्यक्षतः एक ही होने से पश्चातवर्ती वाद सं. 39/2022 उनवान कुदाराम बनाम सुरेन्द्र की कार्यवाही पूर्ववर्ती वाद सं. 29/2022 उनवानी सुरेन्द्र बनाम अंकित के निस्तारण तक स्थगित की जाती है। पत्रावली पूर्ववर्ती वाद सं. 29/2022 उनवानी सुरेन्द्र बनाम अंकित के साथ संलग्न हो।	
उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ़	